

बिहार विधान परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGES RECEIVED FROM THE BIHAR LEGISLATIVE COUNCIL.

SECRETARY TO ASSEMBLY : Sir, the following messages have been received from the Bihar Legislative Council :—

(1) The Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday considered and passed without any recommendation the Bihar Finance Bill, 1952.

(2) The Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday considered and passed without any recommendation the Bihar Appropriation (Vote on Account) Bill, 1952.

(3) The Bihar Legislative Council at its meeting held yesterday agreed without any amendment to the Bihar School Examination Board Bill, 1952.

श्री मोइनुद्दीन अहमद खां की ६० दिन से अधिक अनुपस्थिति पर विचार।

ABSENCE OF SHRI MOINUDDIN AHMAD KHAN FROM THE MEETINGS OF THE ASSEMBLY FOR MORE THAN SIXTY DAYS.

माननीय अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण,

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि बिहार विधान सभा नियमावली के नियम ५४ के उप-नियम (५) के अधीन और संविधान के अनुच्छेद १९० के खंड (४) में बतायी गई रीति से गिनती करने पर श्री मोइनुद्दीन अहमद खां इस विधान-सभा के अधिवेशनों से, सदन की अनुमति के बिना ६० दिनों से अधिक अनुपस्थित रहे हैं और सभा के उपर्युक्त नियम के उपनियम (१) के अनुसार उनकी अनुपस्थिति की अनुमति के लिये कोई आवेदन-पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। अब सभा को यह विचार करना है कि इनके स्थान को रिक्त घोषित किया जाय या नहीं। सभा की क्या राय है? क्या इनका स्थान सभा रिक्त करना चाहती है?

कई माननीय सदस्य—अब उनका स्थान क्या रिक्त घोषित किया जायेगा? लेट हिम

डाई ए नेचुरल डेथ।

माननीय अध्यक्ष—अच्छी बात है। उनका स्थान रिक्त घोषित नहीं किया जाता है।

सत्रावसान के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष का वक्तव्य।

OBSERVATION OF HON'BLE THE SPEAKER REGARDING THE TERMINATION OF THE SESSION.

माननीय अध्यक्ष—अब मुझे सदन को एक सूचना देनी है। ३१ मार्च को इस सभा

का सत्र समाप्त हो जायेगा। उस दिन माननीय सदस्यों को सुविधा होगी यदि बैठक सुबह में हो। माननीय मुख्य मंत्री का सदन में रहना आवश्यक है और उनको भी यहां पर ९ बजे आने में सुविधा होगी, इसलिए उस दिन की बैठक ९ बजे से शुरू होगी।

सभा सोमवार, तिथि ३१ मार्च, १९५२ को ९ बजे तक ६ गित की गई।

बि० सं० मु० (एल०ए०) ५१(ए)—७९४+१—मोनो—२६-७-१९५३—वी०सिंह

माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—शुद्ध कोई छत्तर में नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि इसका फसला कोई कद होगा। प्रोसेडियर में डाउन किया हुआ है कि आप की जमीन पर अगर कलक्टर ने कब्जा कर लिया तो आप कलक्टर को यहाँ प्रपील करेंगे। इसका बाद कमिश्नर और बोर्ड तक आप जा सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह—क्या गवर्नमेंट इस बात से संतुष्ट है कि जो कुछ हुआ है वह इन दि इन्स्ट्रुक्शंस आफ माइनर एरिगेशन वर्क हुआ है ?

माननीय श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—गवर्नमेंट पर फेक्टली सैटीस्फाउड है।

१३। श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बरीराय भान में जो खेसरा नं० ३३३ पर डाबर है उसे गहरा करने में तथा उसे आबपासी के मसरफ के लिए पोखरा बनाने में किसी सरकारी या गैर-सरकारी इंजीनियर की राय नहीं ली गई है, यदि ली गयी है तो उक्त इंजीनियर की राय का प्रतिवेदन मेज पर रखा जाय;

(ख) यदि किसी इंजीनियर की राय के खिलाफ पोखरे की खुदाई जारी की गई तो ऐसी कार्रवाई शुरू करने के लिए हुक्म देने वाले पर कार्रवाई का विवरण क्या है ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (a) The scheme was sanctioned on the opinion of the Circle Inspector under supervision of Circle Officer. The question whether the scheme was examined by any Engineer will be looked into.

(b) The question does not arise in view of answer to question (a).

१४। श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बरीराय भान में जो खेसरा नं० ३३३ पर डाबर को और गहरा किया जा रहा है तथा उसकी ईर्द-गिर्द जमीनों में से काटा जा रहा है उसमें बगल वाले की जमीन पर ऐन्क्रोचमेंट हुई है या नहीं, यदि हाँ तो ऐसे ऐन्क्रोचमेंट के लिए कौन उत्तरदायी है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इस पर क्या करने का विचार करती है ?

The Hon'ble Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (a) and (b) Necessary information is not available. The question whether there has been any encroachment is being investigated and will be further looked into.

१५। श्री गुप्तनाथ सिंह—क्या माननीय मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) खेसरा नं० ३३३ बरीराय भान ग्राम पर जो डाबर खोद कर पोखरा बनाया जा रहा है उससे डाबर के सटे खेतों के सिवाय ऊंची सतह होने के कारण दूर के खेतों में पानी नहीं पहुंच सकता;

(ख) ऐसी योजना में पब्लिक मनी वेस्ट करने का क्या कारण है ?